10 अध्याय

# भारत में लोक सेवाएँ (Civil Services in India)

## अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती (Recruitment to All India and Central Services)

### अखिल भारतीय सेवाएँ (All India Services)

अखिल भारतीय सेवाएँ केंद्र और राज्य दोनों से सामान रूप से संबद्ध हैं। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि केंद्र और राज्य सरकारों की अलग-अलग सेवाएँ हैं जिन्हें क्रमशः केंद्रीय सेवा और राज्य सेवा कहते हैं। इस प्रकार, अखिल भारतीय सेवाएँ–केंद्र और राज्य सेवाओं के अतिरिक्त हैं।

वर्तमान में, अखिल भारतीय स्तर की निम्नलिखित तीन सेवाएँ हैं।

- भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस)
- भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.)
- भारतीय वन सेवा (आई.एफ.एस)

वर्ष 1947 में, इंडियन सिविल सर्विस की जगह आई.ए.एस को तथा इंडियन पुलिस की जगह आई.पी.एस. को लाया गया तथा इन्हें संविधान के तहत अखिल भारतीय सेवा का दर्जा प्रदान किया गया। वर्ष 1963 में अखिल भारतीय स्तर की जिन तीन और सेवाओं का गठन हुआ, वह हैं–

- भारतीय वन सेवा
- भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा
- भारतीय इंजीनियर सेवा

इन तीन सेवाओं में से केवल भारतीय वन सेवा (आई.एफ.एस) वर्ष 1966 में अस्तित्व में आई। वर्तमान में, अखिल भारतीय स्तर की केवल तीन सेवाएँ हैं: आई.ए.एस., आई.पी.एस और आई.एफ.एस।

संविधान के अनुच्छेद 312 के द्वारा भारतीय संसद को यह प्राधिकार प्राप्त है कि राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर वह अखित भारतीय स्तर की नई सेवाओं का गठन कर सकती है। अतः अखिल भारतीय स्तर की नई सेवा का गठन संसदीय अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है, न कि राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा। किंतु राज्यसभा की अनुशंसा के बिना संसद ऐसा नहीं कर सकती। भारतीय संघीय प्रणाली में राज्यों के हितों की रक्षार्थ अखिल भारतीय स्तर की नई सेवा के गठन का अधिकार राज्यसभा को दिया गया है।

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम में केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की भर्ती और सेवा-शर्तों को विनियमित करने के लिए राज्य सरकारों की सलाह से नियम बना सकती है। इन सेवाओं के सदस्यों की भर्ती और उन्हें प्रशिक्षित करने का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है किंतु उनकी तैनाती विभिन्न राज्यों में की जाती है। इन सेवाओं के सदस्यों को विभिन्न राज्यों का संवर्ग आबंटित किया जाता है; इस संदर्भ में केंद्र स्तर का कोई संवर्ग नहीं है। इन सेवाओं के सदस्य केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्त होते हैं और कार्यकाल की समाप्ति पर वापिस संबद्ध राज्यों को चले जाते हैं। केंद्र सरकार इन अधिकारियों की सेवाएँ 'कार्यकाल प्रणाली' के तहत प्राप्त करती है। यहाँ उल्लेखनीय है कि अलग-अलग राज्यों में विभक्त होने के बावजूद अखिल भारतीय स्तर की प्रत्येक सेवा को देशभर में एक समान सेवा माना जाता है तथा दर्जा और वेतनमान भी एक समान है। अखिल भारतीय स्तर की तीनों सेवाएँ: ग्रुप 'ए' अर्थात् क्लास-I श्रेणी की सेवाएँ है।

अखिल भारतीय सेवाओं की निम्नलिखित तीन श्रेणियाँ हैं–

- सुपर टाइम स्केल
- सीनियर स्केल
- जूनियर स्केल

शुरू में, अधिकारियों को जूनियर स्केल में नियुक्त किया जाता है, बाद में उन्हें सीनियर स्केल और सुपर टाइम स्केल में पदस्थ किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रबंधन और नियंत्रण कार्य केंद्र सरकार के तीन अलग-अलग मंत्रालयों द्वारा किया जाता है:

- आई.ए.एस–कार्मिक मंत्रालय द्वारा
- आई.पी.एस–गृह मंत्रालय द्वारा